चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 72 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।
(i).उ0नि0 यूटी0 श्री नीरज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा उनके हमराही आरक्षी राहुल देव द्वारा प्रेम गोस्वामी पुत्र गया गोस्वामी निवासी राघवपुरी सीतापुर चौकी सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को 26 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii).चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता जनपद चित्रकूट तथा उनके हमराही आरक्षी रविन्द्र कुमार, आरक्षी अभिषेक प्रताप द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी तीर्थराजपुरी सीतापुर चौकी सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को 28 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोत0 कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा छोटेलाल पुत्र महारजवा निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोत0 कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. धनराज पुत्र लालू 2. मिथुन पुत्र लालू निवासीगण राघवपुरी सीतापुर 3. राजकरन उर्फ झल्लर पटेल पुत्र जुगुल किशोर निवासी मनोहरगंज सीतापुर चौकी सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनाँक-30.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व उनके हमराही आरक्षी दीपांकर सिंह द्वारा मु0अ0स0 159/2017 धारा 03 लोक संम्पत्ति निवारण अधिनियम के वारंटी अभियुक्त राजा सिंह पुत्र त्रिभुवन निवासी देवारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।
(ii). उ0नि0 श्री यूटी शिवम कन्नौजिया थाना सरधुवा व उनके हमराही आरक्षी ललित सोनी द्वारा मु0अ0स0 44/022 धारा 504 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त भोन्डी पुत्र रामदीन निवासी अहरा का पुरवा मजरा भानपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iii). चौकी प्रभारी रंगौली श्री राजीव कुमार सिंह व उनकी हमराही महिला आरक्षी आरती अहिरवार द्वारा मु0अ0स0 673/18 धारा 135 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त राजकरन पुत्र शिवमंगल निवासी सपहा थाना कोत0 कर्वी को गिरफ्तार किया।

(7). आज दिनाँक 30.09.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले 01 निरीक्षक नागरिक पुलिस व 01 उपनिरीक्षक रेडियो शाखा की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री मोहम्मद हाशिम व उ0नि0 रेडियो शाखा श्री कमलेश कुमार को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक व उपनिरीक्षक मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे उपनिरीक्षकों से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, आई रेडियो श्री रविन्द्र कुमार पटेल, प्रभारी सोशल मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय, वाचक श्री राजीव कुमार सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनाँक 30.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

(9). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी आश्विनमास/पितृ विसर्जनी अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 115 मोटर वाहन अधिनियम 1988 सपठित नियम 178 उ0प्र0 मोटर यान नियमावली 1998 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.10.2024 प्रातः 05.30 बजे से 03.10.2024 की रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर एवं मेला क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गो पर प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

1. जीरो प्वाइंट बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस- वे से रेहुटिया तक प्रयागराज रोड।
2. लोढ़वारा मोड़ राष्ट्रीय मार्ग 731A से धनुष चौराहा UP, MP गेट देवांगना घाटी तक।
3. बेड़ी पुलिय चौराहा से निर्मोही अखाड़ा तक।
4. भरतकूप तिराहा से रामशैय्या, संग्रामपुर तिराहा, खोही होते हुये बहुउद्देशीय सहकारी समिति UPMP बार्डर तक।
5. शिवरामपुर तिराहा से चितरागोकुलपुर तिराहा तक।
6. लैना बाबा तिराहा से संग्रामपुर तिराहा तक।
7. चितरागोकुलपुर तिराहा से यार्डलैण्ड स्कूल UPMP बार्डर तक।

दिनांक 03.10.2024 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 04.10.2024 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो भी पूर्व हो,

निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
स्थान व प्रतिबंधित समय-

1. लोढवारा मोड, राजापुर मार्ग प्रातः 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक
2. रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
3. खोह (पुलिस लाइन तिराहा) मानिकपुर रोड प्रातः 05:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
4. शेषन पुरवा मोड सोनेपुर, सतना रोड प्रातः 05:30 बजे से रात्रि 10:30 तक
5. बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्र नाथ धर्म कांटा) बांदा रोड प्रातः 05:30 बजे से रात्रि 11:00 तक
6. निर्मोही अखाड़ा यू0पी0/एमपी बॉर्डर से बेडी पुलिया तिराहा तक प्रातः 05:30 बजे से रात्रि 11:00 तक

1. प्रातः 5:30 बजे जो नो एंट्री बैरियरों से प्रवेश किए हुए भारी माल वाहन वहां प्रातः 06:00 बजे तक प्रत्येक दशा में नो एंट्री क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे।
2. नगर में वैवाहिक/धार्मिक/त्यौहार/जुलूस/झांकी/शोभा/यात्रा/राजनीतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किए जाने पर परिवर्तन की सूचना जो अंतिम बैरियर पर ही दी जाएगी।

भारी एवं मध्यम माल वाहनों का डायवर्जनः-

प्रयागराज से बांदा व सतना जाने वाले वाहनः-

1. बोड़ी पोखरी चौराहा से राजापुर होते हुये बांदा की तरफ जायेंगे।
2. बोड़ी पोखरी चौराहा से पुलिस लाइन तिराहा (खोह), सरैया, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर) होकर सतना की तरफ जायेंगे।
3. राजापुर से आने वाले बड़े वाहन पहाड़ी से अतर्रा होकर बांदा की तरफ जायेंगे।

बांदा से प्रयागराज जाने वाले वाहनः-

1. अतर्रा से बिसन्डा, पहाडी, राजापुर होकर प्रयागराज की तरफ जायेंगे।

सतना से प्रयागराज व कौशाम्बी जाने वाले वाहनः-

1. बड़ी पाटिन तिराहा से इटवा डुडेला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोड़ी पोखरी चौराहा होकर प्रयागराज की तरफ जायेंगे।
2. बड़ी पाटिन तिराहा से इटवा डुडेला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोडी पोखरी चौराहा, राजापुर होकर कौशाम्बी की तरफ जायेंगे।

दो पहिया एवं हल्के वाहन (तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का डायवर्जन-

1. जानकी कुण्ड एवं सतना की तरफ जाने वाले दो पहिया एव हल्के वाहन(तीन पहिया, चार पहिया वाहन) धनुष चौराहा से देवांगना घाटी होते हुये जायेंगे।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती मलोचन पत्नी गजेंद्र सोनकर निवासी इद्रानगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके ससुरालीजन व पति गजेंद्र सोनकर पुत्र इंद्रपाल निवासी माधौगंज थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना मध्य प्रदेश अतिरिक्त दहेज की मांग,मारपीट करते लड़ाई झगड़ा करते है। थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज

2.महिला आरक्षी सपना शर्मा

3.महिला आरक्षी आराधना

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह व उनकी टीम द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि थाना मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम के वादी द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी कि उनकी पुत्री के साथ आकाश द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म किया गया कि सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 177/2024 धारा 87,64,351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनाँक 30.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर व उनकी टीम द्वारा आकाश को गिरफ्तार किया गया।

(12). आज दिनाँक 30.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री यामीन अहमद की उपस्थिति में आगामी नवरात्रि एवं पितृ विसर्जन के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र के धतुरहा चौराहा,शंकर बाजार,बल्दाऊगंज,चकरेही चौराहा,कालीदेवी चौराहा,एलआईसी तिराहा रोड एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। महोदय द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर भरोसा दिलाया गया ।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,थानाध्यक्ष महिला थाना सरिता सरोज,पीआरओं प्रवीण सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।